

डॉ० ए०एम० इस्लामियों कालेज आफ़ फार्मसी

दिस्तौली पो० चनुकी जि० देवरिया (उ०प्र०)

धक/प्राचार्य

मो० न० 9648941395

पत्रांक.....

दिनांक ०८/०८/२०२१

सेवा में,

सयुक्त सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय:- संबंधित भूमि प्रयोग का 143 अथवा धारा 80 के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि जो भूमि मोमिन अंसार सोसाइटी के नाम से है।
उप जिलाधिकारी तहसील भाटपार रानी देवरिया में यह आवेदन किया गया है कि गाटा सं०
112, 113, 271, 283, और 468 को भूमि को धारा 143 के तहत अकृषिक घोषित करें।
अकृषिक घोषित होते ही आप को प्रमाण पत्र दे दिया जायेगा।

भवदीय



प्रबन्धक

डॉ० ए०एम० इस्लामियों कालेज ऑफ़ फार्मसी
दिस्तौली पो० चनुकी जि० देवरिया।